

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(11)नपिवे / II / 2010

जयपुर, दिनांक :-

१० FEB 2011

आज्ञा

सेवानिवृत मुख्य नगर नियोजक, श्री पी.के. पाण्डे को सेवानिवृति की तिथि दिनांक 31.05.2010 को उनके द्वारा प्राप्त किये जा रहे अन्तिम वेतन में से उनको देय पेंशन परिलाभों को कम करते हुये जो भी राशि शेष हो पर “राज्य शहरीकरण आयोग” में एक वर्ष के लिए सदस्य सचिव के रूप में संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति आयोग का कार्य समाप्त होने पर अथवा इससे पूर्व भी राज्य सरकार द्वारा समाप्त की जा सकेगी। श्री पाण्डेय को भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा।

यह आज्ञा वित्त विभाग की आई.डी. सं. 101004209 दिनांक 02.12.2010 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से  
  
(गुरदयाल सिंह संधु)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिक्रिया निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. विशेष वेकारी, वित्त (नियम) विभाग को उनकी आई.डी. सं. 101004209 दिनांक 02.12.2010 के क्रम में।
8. श्री पी. के. पाण्डे, सेवानिवृत मुख्य नगर नियोजक, सी-393, हंसमार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

  
(पुरुषोत्तम बियाणी)  
उप शासन सचिव-प्रथम